अक्षम व्यक्तियों के लिये योजनाऐं
(Schemes for Persons with Disabilities)

क) विकलांगजन हेतु एकीकृत योजना सहयोग

1. विकलांगता पहचान पत्र
(Disability Identity Cards)

उद्देश्य

विकंलाजन को सरकार द्धारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओ/ सुविधाओं का लाभ पंहुचाने हेतु ।

प्रक्रिया

- इच्छुक विकलांग व्यक्ति को सम्बन्धित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में गठित चिकित्सा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो कर अपनी विकलांगता जांच करवानी होगी । जांच के लिये सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दो फोटो सहित आवेदन करना होगा । जांच उपरान्त बोर्ड द्धारा विकलांगता विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है । ऐसे व्यक्ति जिनकी विकलांगता 40% या इससे अधिक प्रमाणित होने पर विकलांगता पहचान पत्र जारी किये जाते है ।
- विकलांगता पहचान पत्र जारी करवाने के लिये सम्बन्धित व्यक्ति को बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, आयु तथा पते का प्रमाण सहित निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन के साथ 20/- रू0 सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय मे जमा करवाने होगे ।
- उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण करने पर सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी कम्पयूट्रीकृत लेमीनेटिड पहचान पत्र जारी करते हैं।

2. विकलांगजन हेतु एकीकृत योजना
(Integrated Scheme for Persons with Disabilities)

(i) सर्वेक्षण, शीघ्र पहचान एवं अनुसंधान
Survey, Early Detection and Research

उद्देश्य

विकलांगजनो का डाटा इक्ठा करना, विकलांगता की शीघ्र पहचान करवा कर निवारण के लिए आवश्यक पग उठाने तथा विकलांगता निवारण के लिए अनुसंधान करवाना ।

पात्रता

सर्वेक्षण का कार्य आगंवाडी कार्यकर्ताओ के माध्यम से करवाया जाता है तथा विकलांगता की शीघ्र पहचान का कार्य स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा हर वर्ष करवाया जाता है । अनुसंधान हेतु विश्वविद्यालय, स्वयं सेवी संस्थाऐ जो विकलांगता के अनुसंधान क्षेत्र मे कार्य कर रही हो वित्य सहायता के लिए पात्र है।

सहायता

अनुसंधान कार्य के लिए सम्बन्धित संस्था/संस्थान को 2.00 लाख रू तक वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ii) जागरूकता
(Awareness Generation)

उद्देश्य

विकलांगता की शीघ्र पहचान, विकलांगता के निवारण, बाधा राहित वातावरण तथा सरकार द्धारा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओ इत्यादि बारे जांगरूकता शिविर आयोजित करना।

सहायता

विभाग द्धारा जिला/ब्लाक स्तर पर शिविर आयोजित करके विकलांगजनों को जागरूक किया जाता है।

(iii) विकलांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृतियां
(Scholarship to Disabled Students)

उद्देश्य

विकलांग छात्र/छात्राओ को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना।

पात्रता

ऐसे विकलांग छात्र/छात्राएं जो मान्यता प्राप्त स्कूल, कालेज,विश्वविद्यालय,व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा प्रोफेशनल कोर्स इत्यादि में ग्रहण कर रहे हो, जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो तथा माता-पिता /संरक्षक की मासिक आय 5000/- से अधिक न हो ।

सहायता

पात्र छात्रों को निम्नलिखित दरों पर छात्रवृति उपलब्ध करवाई जाती है :-

- प्रथम कक्षा से स्नात्कोत्तर पाठयक्रमों के लिए 350/-रू से 750/-रू प्रति माह ।
- छात्रावासों में रहे छात्रों को प्रथम कक्षा से स्नात्कोत्तर पाठयक्रमों के लिए 1000/- रू से 2000/-रू प्रति माह ।

(iv) विकलांगजनो का कौशल विकास
Skill Enrichment of Persons with Disabilities

उद्देश्य

विकलांगजनो के बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओ के दृष्टिगत उनके कौशल विकास के लिए सरकारी/गैर सरकारी संस्थानो के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित करके उन्हे स्वयं रोजगार के अवसर प्रदान करना ।

पात्रता

40 प्रतिशत या इससे अधिक की विकलांगता से ग्रस्त 18 से 45 वर्ष के व्यक्तियो जिनके परिवार की वर्षिक आय 1.00 लाख रू ते कम हो, को चिन्हित कोर्स मे आई0टी0आई के माध्यम से निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है

सहायता

चिन्हित कोर्स मे निशुल्क प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण के दौरान 1000/-रू प्रति माह वित्तिय सहायता दी जाती है।

(v) विकलांगजन के लिए विवाह अनुदान
(Marriage Grant to Disabled)

उद्देश्य

शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों को विकलागं व्यक्तियों के साथ विवाह के लिए प्रेरित करना ।

पात्रता

40 प्रतिशत या इससे अधिक की विकलांगता से ग्रस्त पुरूष/महिला से शादी करने वाले शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति ।

सहायता

40 से 74 % विकलांग व्यक्तियों को 8000/-रू ।

75 से 100% विकलांग व्यक्तियों को 15000/-रू ।

(vi) विकलांगों को स्वरोजगार सहायता
(Assistance to Disabled for Self Employment)

उद्देश्य

विकलांगों को स्वरोजगार व्यवसाय स्थापित करवा कर आत्म-निर्भर बनाने हेतु ।

पात्रता

जिन विकलांगजनो ने स्वरोजगार व्यवसाय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम को ऋण हेतु आवेदन हिमाचल प्रदेश अल्पसंखयक वित्त एवं विकास निगम को प्रस्तुत किये हो ।

सहायता

परियोजना लागत का 20% या अधिकतम 10,000/- रू

3. विकलांग बच्चों के विशेष स्कूल/ गृह
(Special Schools/ Homes for Disabled Children)

उद्देश्य

ऐसे विकलांगता बच्चे जिन की आयु 5 से 18 वर्ष हो तथा जो सामान्य स्कूलों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते उन्हें निशुल्क शिक्षा/व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना ।

संस्थानों का विवरण

- दृष्टिहीन व मूक बधिर छात्राओं के लिये गृह,सुन्दरनगर (मण्डी) ।
- दृष्टिहीन व मूक बधिर छात्रों के लिये गृह, ढल्ली(शिमला) ।
- शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिये पाठशाला, धर्मशाला ।
- 5 से 12 वर्ष तक की आयु के मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिये प्रेम आश्रम ऊना ।

4. विकलागंजन के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम
(National Programme for Rehabilitation of Persons with Disabilities)

उद्देश्य

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन ।

कार्यक्रम

जिला पुनर्वास केन्द्र हमीरपुर तथा कांगड़ा के माध्यम से विकलागं व्यक्तिओं के पुनर्वास के लिए विभिन्न सेवायें प्रदान करना जैसेः-

- विकलांग व्यक्तियों की पहचान करके विकलांगता की रोकथाम एवं उपचार करना ।
- विशेषज्ञ सेवायें (फिजिओथेरेपी, आक्यूपेशनल थेरेपी, आडियोलोजिकतल असेसमेन्ट) ऐडस एवं ऐप्लाएन्सीज (कृत्रिम अंग, श्रवण यन्त्र,व्हील चेयर इत्यादि) उपलब्ध करवाना ।
- प्रशिक्षण, शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए परामर्श सेवायें प्रदान करना ।
-

5. विकलांगजन के लिए क्षेत्रीय स्त्रोत केन्द्र
(Composite Resource Centre for Persons with Disabilities)

उद्देश्य

विकलांगजन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास एवं शोध कार्यो का आयोजन करना ।

कार्यक्रम

यह संस्थान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय द्वारा सुन्दरनगर, जिला मण्ड़ी में स्थापित किया गया है तथा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास तथा विशेष शिक्षा सेवायें प्रदान करने हेतु स्त्रोत केन्द्र है। सस्थान के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं, गांव स्तरीय बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ताओं, अन्य सरकारी कर्मचारियों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण सेवायें तथा विकलांगजन को सहायक उपकरण निर्माण कर उपलब्ध करवाए जा रहे है।

ख) केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं

1. सहायक उपकरण/कृत्रिम अंग लगवाने व खरीदने हेतु सहायता
(Assistance to Disabled for Purchase of Aids and Appliances)

उद्देश्य

जिन विकलांगजन की मासिक आय 8,000/- रू0 तक हो, उन्हे 6000/-रू0 तक के ऐडस तथा अपलाऐन्सज उपलब्ध करवाना।

पात्रता

योजना के संचालन हेतु निम्न लिखित ऐजेंसी अनुदान प्राप्त कर सकती है:-

- "व्यक्ति जिनमे अक्षमतायें हैं" अधिनियम 1995 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था।
- "सहकारी पंजीकरण अधिनियम" 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था।
- पंजीकृत चैरीटेबल ट्रस्ट।
- भारतीय रैड-क्रास की शाखाएं।

सहायता

कोई सीमा नही है।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्कः www.socialjustice.nic.in

2. दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना
(Deen dayal Rehabilitation Schemes for Persons with Disabilities)

उद्देश्य

विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाने हेतु उनकी शिक्षा,व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा उन्हें पुर्नवासित करने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं को विभिन्न योजनाये चलाने के लिए प्रेरित करना।

पात्रता

निम्नलिखित ऐजेंसी अनुदान प्राप्त करने हेतु सक्षम है।

- सहकारी पंजीकरण अधिनियम 1860 या राज्य सरकार के समकक्ष अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था।
- पंजीकृत चैरीटेबल ट्रस्ट।
- भारतीय रैड-क्रास की शाखाऐं।
- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

सहायता

कुल अनुदान प्रस्ताव की 90 प्रतिशत राशि।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्कः www.socialjustice.nic.in

3. विकलांगजन के लिए क्षेत्रीय स्त्रोत केन्द्र
(Composite Resource Centre for Persons with Disabilities)

उद्देश्य

विकलांगजन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास एवं शोध कार्यो का आयोजन करना।

कार्यक्रम

यह संस्थान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय द्वारा सुन्दरनगर, जिला मण्डी में स्थापित किया गया है तथा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास तथा विशेष शिक्षा सेवायें प्रदान करने हेतु स्त्रोत केन्द्र है। सस्थान के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं, गांव स्तरीय बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ताओं, अन्य सरकारी कर्मचारियों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण सेवायें तथा विकलांगजन को सहायक उपकरण निर्माण कर उपलब्ध करवाए जा रहे है।